

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

कुलदीप बनाम सुरजमल आदि

दाया बाबत :- 88 RJA 11

मुकदमा नम्बर :- 64/2021

निर्णय दिनांक :- 22-11-2021

वादी की ओर से वकील मुझीराम जोषवासी की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 की ओर से वकील नैरय शर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही जिल्ला के खाला सं० 181/173 के खसरा सं० 259/2, 250, 271, 272/2 कुल 5058 ई० कारना खालदारी प्रतिवादी सं० के नाम व रोही जिल्ला के खाला सं० 182/178 के खसरा सं० 31/393, 161, 176, 190, 192 कुल 4313 ई० कारना खालदारी में प्रतिवादी सं० के नाम 2631 ई० व रोही जिल्ला के खाला सं० 167/166 के खसरा सं० 37, 38, 43, 90, 93, 94, 80, 181, 182, 183, 185 कुल 39434 ई० कारना खालदारी में प्रतिवादी सं० के नाम 8087 ई० राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से अकेले प्रतिवादी सं० सुरजमल के वाजद वादी कुलदीप प्रतिवादी सं० सुरजमल प्रतिवादी सं० 2 राममजरा के कटिस्वा करावर के खालदारी काबलाकार वासिता किये जाते है - मुक्ति प्रतिवादी सं० 1 ने अपना सम्पूर्ण हक वस्सि वादी व प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में त्माग कर ग्रुप कर विभाई इसलिये त्माग किये जाये जिस पर पंजीमन विभाग को देय पंजीमन मुल्य एवं स्थान उभरी अदा करके व यदि कृषि मुक्ति बैंक के रदन हो तो रदनमुल्य होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल परामप किये जाये।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी भादरा)  
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
 भादरा, जिला हनुमानगढ़